संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, घड़ी चौक के पास, सिविल लाइन

रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

फैक्सः 0771-2234731, दूरभाषः 0771-2537404, ई-मेलः deptt.culture@gmail.com,
Web: www.cgculture.in, Facebook: cgculture.deptt@gmail.com, Twitter: @culture_deptt

क्र.– 1755 / सं.पु. / 2019–20 रायपुर, दिनांक 19 / 03 / 2020

प्रति,

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुरातत्त्व संघ,
   समस्त जिले, छत्तीसगढ़।
2. संग्रहाध्यक्ष, जिला पुरातत्त्व संग्रहालय,
   रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं पुरखौती मुक्तांगन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. उत्खनन निदेशक,
   तरीघाट, रीवा एवं जमराव उत्खनन, छत्तीसगढ़।

विषयः नोवल कोरोना वायरस रोग के संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण के संबंध में।

संदर्भः 1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. 150 / स / 2020, दिनांक 06.03.2020, 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार का पत्र क्र. Z-21020/14/2020-PH, दिनांक 05.03.2020, 3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. / स.न.प्रशा. / 2020 / 36, दिनांक 13.03.2020, 4. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. एफ.1–1 / 2019 / 1–5, दिनांक 17.03.2020, 5. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार का पत्र, एफ.नं. 13 / 1 / 2018–एम, दिनांक 17.03.2020।

––––00––––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नोवल कोरोना वायरस रोग (कोविद–10) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य शासन एवं भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में विभाग के अधीन / संचालित संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों, उत्खनन स्थल आदि ऐसे केन्द्र जहाँ व्यक्ति समूह में एकत्रित होते हैं, उन स्थानों पर फिल्मिंग, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक आयोजन, दर्शकों का प्रवेश, स्थल पर कराये जा रहे कार्य एवं अन्य गतिविधियों पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई जाती है। परन्तु इस दौरान सभी प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का नियमित रूप से निर्वहन करते रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्त्व

पृष्ठां. क्र.– / सं.पु. / 2019–20 रायपुर, दिनांक / / 2020

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. विशेष सहा., मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ।
3. सर्वसंबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्त्व